

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक ०४.३.१४

अ०सं०—१२८३/एम० राज्य में बालू संकट तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए कार्य विभाग को सरकारी कार्य योजनाओं में बालू की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, १९७२ के नियम-३६ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नालंदा जिला के कुल्टी (१८.१ हे०), जिरायन (९.७ हे०), देशना (८.० हे०), घोड़ा कटोरा-१ (७.५१ हे०), सदरपुर बिंद (१३.२ हे०), पीताबर बीघा (६.९ हे०), लालपुरा (४.८ हे०), लोदीपुर (८.० हे०), बहादुरगंज (११.५ हे०) एवं पोराहा धनुकी (४.५ हे०) बालूघाटों का संचालन बिहार राज्य खनन निगम को प्रदान किया जाता है।

- उक्त बालूघाटों से बालू की आपूर्ति मुख्यतः सरकारी कार्य विभागों को की जायेगी।
- यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक—१२८३/एम०, पटना, दिनांक—०४.३.१४
प्रतिलिपि:—निदेशक, खान/समाहर्ता, नालंदा/सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय,
नालंदा/आई०टी० मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१२८३

सरकार के अवर सचिव